न्यायालय अति.जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः— 08 / 2021
GCMS No. 2021/96

दायरा दिनांक 29.10.2021

पीठासीन अधिकारी :— श्री जबर सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

बृजमोहन पुत्र बिरधीलाल जाति मीणा निवासी रामविलास तहसील किशनगंज, जिला—बारां राज0

— प्रार्थी

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र घासीलाल जाति मीणा निवासी तुलसा कोटडी तहसील बारां जिला—बारां राज0
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज जिला—बारां। — अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. श्री सतीश शर्मा, श्री वीरेन्द्र अग्रवाल — वकील प्रार्थी।
2. श्री रामकिशन नागर —वकील अप्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) भू—आवंटन नियम

निर्णय दिनांक 24.09.2024

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना—पत्र अंतर्गत धारा 14(4) भू—राजस्व अधिनियम—1970 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 27.08.1998 को ग्राम रामविलास की आराजी खसरा नं. 665 रकबा 7.10 बीघा भूमि का आवंटन अप्रार्थी के नाम आवंटन की गयी थी। उक्त आवंटन विधि विरूद्ध एवं आवंटन प्रक्रिया के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली एवं अप्रार्थी की तलबी की गई ।

संक्षेप में मामला इस प्रकार से हैं कि ग्राम रामविलास पटवार हल्का छतरगंज तहसील किशनगंज जिला बारां राज0 में आराजी खसरा नम्बर 281 रकबा 1.2100 हैक्टयर अवस्थित है। जिसे प्रार्थना पत्र में आगे चलकर वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त वादग्रस्त आराजी सेटलमेन्ट से पूर्व खसरा संख्या 665 रकबा 7.10 बीघा थे। सेटलमेन्ट से पूर्व उक्त आराजी का खसरा नम्बर 665 था जिसका रकबा 89.00 बीघा था। उक्त आराजियात नाकाबिल काश्त थी जिसे प्रार्थी एवं उसके परिवारजन ने मेहनत मशक्कत करके काबिल काश्त बनाया था तभी से प्रार्थी का करीब 12.00 बीघा आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है।

वादग्रस्त आराजी को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा बिना जॉच पडताल किये मौके पर भूमि खाली नहीं होने के बाबजूद भी अप्रार्थी क्रम—1 के नाम पटवारी हल्का एवं राजस्व कर्मचारियों से सांठ—गांठ करके दिनांक 27.08.1998 को विधि विरूद्ध एवं गैर कानूनी तरीके से अपने नाम आवंटन करवा लिया जबकि आवंटन के पूर्व से ही उक्त आराजी पर प्रार्थी का कब्जा करकरार था। मौके पर भूमि खाली नहीं होने से उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से स्वतः ही निरस्त किये जाने योग्य है।

अप्रार्थी क्रम—1 ग्राम तुलसीकोटडी का निवासी है जिसे वादग्रस्त आराजी का आवंटन नहीं किया जा सकता था इसलिए भी आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है।

Scanned with OKEN Scanner

आवंटन के पश्चात् से ही आवंटी रामस्वरूप का उक्त आराजियात पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा। स्वयं आवंटी द्वारा जिला कलक्टर महोदय, को दिनांक 23.06.2021 को दिये गये प्रार्थना पत्र में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि आवंटी/प्रार्थी को अभी तक अपने को आवंटित की हुई जमीन का अता–पता नहीं है। जिसे पैमाईश करवाकर कब्जा दिलवाने की प्रार्थना की गयी थी। इससे स्पष्ट है कि आवंटी रामस्वरूप द्वारा आवंटित भूमि पर आज दिनांक तक काश्त नहीं की गयी इसलिए भी आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है।

तहसीलदार द्वारा गठित टीम ने दिनांक 23.06.2021 को मौके की स्थिति का जायजा लिया एवं उसमें स्पष्ट किया कि आवंटी रामस्वरूप अपनी भूमि पर काबिज काश्त नहीं है तथा मौके के नक्से अनुसार आवंटी को कब्जा दिया जाना सम्भव नहीं है। इसलिए नक्शा दुरस्ती बाबत् राय दी गयी। कार्यालय किशनगंज द्वारा रिपोर्ट दिनांक 18.07.2021 जो जिला कलक्टर महोदय, बारां को प्रेषित की गयी है में अंकित किया गया है कि आवंटी द्वारा आवंटन पश्चात् से ही भूमि पर कब्जा दखल नहीं लिया है एवं सेटलमेन्ट विभाग ने काबिज खातेदारों के स्थान पर गैर काबिज खातेदार का खेत बना दिया जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न हुयी है एवं आवंटी रामस्वरूप मीणा को कब्जा दिये जाने के लिए सर्व प्रथम नक्शे में दुरस्ती की जाकर तरमीम किया जाना आवश्यक है। इसलिए प्रभावी पक्षकारों को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगंज में अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट के तहत कार्यवाही किया जाना चाहिए। इससे भी स्पष्ट है कि गया आवंटन निरस्त फरमाया जाना न्यायोचित है। वक्त आवंटन समिति का कोरम भी पूर्ण नहीं था आवंटन अधिकारी द्वारा बिना कोरम के विधि विरूद्ध आवंटन किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट द्वारा अपील देरी से प्रस्तुत करने पर देरी को माफ करने हेतु धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत पृथक से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। जो शामिल पत्रावली है। अपीलान्ट द्वारा उक्त आवंटन की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 20.02.2017 को तत्पश्चात् नकल प्राप्त करने पर हुई। अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 में वर्णित कारणों से हम सहमत हैं। अतः प्रस्तुत अपील में डिले को माफ करते हुए अवधि मध्य मानी जाकर अपील विचारार्थ स्वीकार की जाती है।

विद्वान वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अप्रार्थी की लिखित बहस में बताया कि वांके ग्राम रामबिलास में स्थित आराजी नया खसरा नम्बर 281 रकबा 1.21 हैक्टेयर पुराना खसरा नम्बर 665 रकबा 7.10 बीघा अप्रार्थी क्रम 1 जो भारतीय थल सेना में भूतपूर्व सैनिक (आर्मी) रहा है और (मीना) अनुसूचित जनजाति का है जो दिनांक 31.01.1997 को थल सेना से रिटायर हुआ है को आवंटन दिनांक 27.08.1998 को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 101(4) 11–02–31 के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर नियम 13 के तहत गठित आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों के पूर्ण कोरम में भूमिहीन की हैसियत से विधि सम्मत तरीके से किया जाकर दखल दिया गया है। प्रार्थी का यह कहना कि आवंटन के समय विवादित आराजी आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं थी गलत है क्योंकि राजस्व अभिलेख से स्पष्ट है कि विवादित आराजी आवंटन की तिथि 28.07.1998 को आवंटन के लिए उपलब्ध थी। आर.आर.डी. 1996 पेज नं. 234 गोपाल बनाम सुक्खा, आर.आर.डी. 1992 पेज 226 मंगू व अन्य बनाम रामचन्द्र व अन्य एवं आर.आर.डी 1987 पेज नम्बर 54 रहीम खां बनाम नूर मोहम्मद आदि निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि वादग्रस्त आराजी आवंटन के समय प्रार्थी के कब्जे में बतौर अतिक्रमी थी तो आवंटन के वक्त भूमि को आवंटन के लिए खाली भूमि (Unoccupied-land) एवं उपलब्ध होना माना जावेगा और वह आवंटन किये जाने योग्य है। इसलिए प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क में कोई सार नहीं है कि वादग्रस्त भूमि आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं थी यहां तक कि जहां न्यायालय इस अवधारणा के साथ आगे बढ़ते है कि प्रार्थी विवादित भूमि के कब्जे में है लेकिन उसका कब्जा केवल एक श्रेणी के अतिचारी का है और चूंकि यह कानूनी कब्जा नहीं है। इसलिए सभी उद्देश्यों के लिए विवादित भूमि को आवंटन के लिए उपलब्ध मान लिया जाना चाहिए। उनके कब्जे को सुरक्षित नहीं किया जा सकता और भूमि के अतिचारियों को कोई राहत नहीं दी जा सकती। विवादित आराजी पर अप्रार्थी क्रम–1 को वर्ष 2006 (16 वर्ष) पूर्व नामान्तकरण संख्या 11 से खातेदारी अधिकारों की पुष्टि की जा चुकी है। और वर्तमान में अप्रार्थी क्रम–1 चालू राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में खातेदार दर्ज है। 1997 आर.आर.डी. पेज 195 पर उद्धत पूर्ण निर्णय मगना बनाम भुजा में भी 13 वर्ष पश्चात् आवंटन रद्द किये जाने को इस आधार गलत ठहराया गया था कि 10 वर्ष के पश्चात् ही आवंटी खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लेता है तथा नियम 14(4) के नियमों के अन्तर्गत कलक्टर द्वारा खातेदारी अधिकारों को रद्द

Scanned with OKEN Scanner

नहीं किया जा सकता 1999 आर.आर.डी. पेज 128 पर उद्धत पूर्व निर्णय दलपतसिंह बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भी 20 वर्ष के विलम्ब के पश्चात् आवंटन को तकनिकी कारणों से रद्द किया जाना गलत ठहराया गया था और 1995 आर.बी.जे.–02 पेज क्रमांक 780 में उद्धत पूर्व निर्णय पतराम बनाम राजस्थान सरकार में माननीय राज0 उच्च न्यायालय की डिविजन बैंच ने यह व्यवस्था दी है कि आवंटी को एक बार खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुकने के पश्चात् 1970 के नियम प्रभावी नहीं रहते अतः 1970 के नियमों के नियम 14(4) के अन्तर्गत कलक्टर खातेदारी प्राप्त होने के पूर्व ही कार्यवाही कर सकता है। खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुकने के बाद आवंटी वे सभी अधिकार हासिल कर लेता है जो उसे राजस्थान काश्तकारी कानून 1955 के अन्तर्गत प्राप्त होते है। अतः खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लेने के पश्चात् नियम 14(4) 1970 के नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं हो सकती, चूंकि इस प्रकरण में अप्रार्थी क्रम–1 को आवंटन हुए 24 वर्ष (लगभग ढाई दशक) का समय बीत चुका है। अब इतनी लम्बी अवधि के पश्चात् आवंटन को रद्द किया जाना उचित नहीं होगा।

हमने विद्वान वकील उभयपक्ष के तर्कों व लिखित बहस का अवलोकन कर मनन किया तथा पत्रावली का भी आद्यन्त अवलोकन किया। वकील प्रार्थी का कथन है कि आवंटन बाबत् खुले स्थान पर उद्घोषणा चस्पा नहीं की है। और ना ही भू–आवंटन नियमों व प्रावधानों की पालना की है, आवंटी का आज तक कब्जा नहीं रहा। सदैव से प्रार्थी का ही कब्जा रहा है। वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विधिवत आवंटन किया गया है आवंटन शर्तो की पालना के अनुक्रम में खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये गये है। आवंटि उक्त भूमि पर निरन्तर काबिज होकर काश्त करता आ रहा हैं। आवंटन से पूर्व प्रार्थी का कब्जा केवल अतिचारी का है चूंकि यह कानूनी कब्जा नहीं हैं। इसलिए सभी उद्देश्यों के लिए विवादित भूमि को आवंटन के लिए उपलब्ध मान लिया जाना चाहिए और उनके कब्जे को सुरक्षित नहीं किया जा सकता और भूमि के अतिचारियों को कोई राहत नहीं दी जा सकती। प्रार्थी ने ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं किया जिससे आवंटन विधि विरूद्ध किया गया हो।

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है तथा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 27.08.1998 को अप्रार्थी रामस्वरूप पुत्र घासीलाल जाति मीणा निवासी छत्रगंज तहसील किशनगंज को ग्राम छत्रगंज की आराजी खसरा नं. 665 रकबा 7.10 बीघा भूमि का किया गया आवंटन यथावत रखा जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय के साथ वापिस भेजा जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)

Scanned with OKEN Scanner